<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>17.07.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर ने संजय बड़ाया को जल जीवन मिशन घोटाले (जेजेएम) में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 16.07.2024 को गिरफ्तार किया है। संजय बड़ाया को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर के समक्ष पेश किया गया है और माननीय न्यायालय ने 4 दिन की ईडी हिरासत दी है।

ईडी ने एसीबी, जयपुर द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें कहा गया था कि पदमचंद जैन (मालिक: मैसर्स श्री श्यामट्यूबवेल कंपनी), महेश मित्तल (मालिक मैसर्स श्री गणपतिट्यूबवेल कंपनी), और अन्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग (पीएचईडी) से प्राप्त विभिन्न निविदाओं के संबंध में लोक सेवकों को अवैध सुरक्षा प्राप्त करने, निविदाएं प्राप्त करने, बिल स्वीकृत कराने और उनके द्वारा निष्पादित कार्यों के संबंध में अनियमितताओं को ढँकने के लिए रिश्वत देने में शामिल थे। संदिग्ध पीएचईडी अनुबंध प्राप्त करने के लिए इरकॉन द्वारा जारी किए गए फर्जी और मनगढ़ंत कार्य अनुभव प्रमाणपत्रों के उपयोग में भी शामिल थे।

ईडी की जांच से पता चला कि उपरोक्त ठेकेदार यानी पदमचंद जैन एवं महेश मित्तल पीएचईडी के वरिष्ठ अधिकारियों और निजी व्यक्तियों संजय बड़ाया को रिश्वत देकर जेजेएम कार्यों से संबंधित निविदाएं हासिल करने में शामिल थे।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि संजय बड़ाया को आरोपी फर्मों यानी मेसर्स श्री श्यामट्यूबवेल कंपनी एवं मै.श्री गणपतिट्यूबवेल कंपनी से अनुकूल व्यवहार के लिए रिश्वत मिल रही थी। आगे की जांच से यह भी पता चला है कि वह पीएचईडी के अधिकारियों को भी अपने कर्तव्यों के पालन में प्रभावित कर रहा था।

इससे पहले, ईडी ने अब तक 70 से अधिक परिसरों में तलाशी ली है, जिसमें 6.50 करोड़ रुपये के सोने/चांदी सहित 11.03 करोड़ रुपये की जब्ती हुई है।

आगे की जांच जारी है।